



2026:AHC:23039

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 18824/2025

राजेश कुमार सिंह

... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: बाबू राम यादव, मोहम्मद इमरान खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: आजाद राय, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बाबू राम यादव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव द्वारा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने निवेदन किया कि वे निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं और याचिका के निस्तारण हेतु ये निर्देश पर्याप्त हैं। वे कोई अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कर दिया जाए। अतः पक्षों की सहमति से, याचिका का निस्तारण नवीन चरण पर ही किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में तैनात था, तथापि कुछ कथित अनियमितताओं के कारण एक जाँच की गई और जाँच आख्या 18.02.2021 को प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात खंड विकास अधिकारी, प्रयागराज द्वारा 09.06.2021 को याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका याचिकाकर्ता ने 17.06.2021 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। इसके बाद 08.07.2021 को जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और वसूली की कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि राज्य को हुई कथित हानि की राशि अन्य व्यक्तियों द्वारा जमा कर दी गई थी। तथापि, चार वर्ष से अधिक की अवधि बीतने के बाद, अब उपायुक्त (श्रम रोजगार), प्रयागराज द्वारा खंड विकास अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय से 21.11.2025 को विवादित आदेश पारित किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

4. प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2021 और 21.11.2025 को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका दायर की गई है।

5. आदेश पारित होने के उपरांत, आज खंड विकास अधिकारी, प्रयागराज के हस्ताक्षर युक्त दिनांक 31.01.2026 के निर्देश प्रेषित किए गए हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया है और 'परिशिष्ट-अ' के रूप में अंकित किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय पर ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में तैनात था और एक जाँच की गई थी। इसके उपरांत 18.02.2021 को जाँच आख्या प्रस्तुत की गई, जिसके साथ याचिकाकर्ता को 09.06.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने 17.06.2021 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया और जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2021 के माध्यम से उन्हें असंतोषजनक मान लिया गया। इसके पश्चात चार वर्ष बीत जाने पर, अब विवादित आदेश दिनांक 21.11.2025 पारित किया गया है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एक बार जब याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया था, तो उक्त आदेश के लेखक के लिए यह अनिवार्य था कि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचने के कारणों को दर्ज करता कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क स्वीकार करने योग्य क्यों नहीं हैं।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मामला चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में तैनाती के दौरान कदाचार और अनियमितता की थी। हालाँकि, उनके अनुसार भी, आदेश दिनांक 08.07.2021 पारित करते समय याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस पर दिए गए उत्तर पर विचार नहीं किया गया है।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

9. तथ्य निर्विवाद हैं। यह विवाद का विषय नहीं है कि जब याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में तैनात था, तब कथित अनियमितताओं के संबंध में एक जाँच की गई थी और 18.02.2021 को आख्या प्रस्तुत की गई थी। इसे याचिकाकर्ता को दिनांक 09.06.2021 के कारण बताओ नोटिस के साथ तामील कराया गया था, जिसका उत्तर याचिकाकर्ता ने 17.06.2021 को दिया था। जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज ने याचिकाकर्ता के दावे को यह धारित करते हुए नकार दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर विचार योग्य नहीं है।

10. विवादित आदेश दिनांक 08.07.2021 पर सरसरी दृष्टि डालने से यह प्रकट होता है कि इसमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने का कोई कारण नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर या बचाव को संतोषजनक क्यों नहीं पाया गया है।

11. न्यायालय की राय में, एक बार जब कारण बताओ नोटिस के उत्तर में कोई पक्ष रखा जाता है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और आदेश पारित किया जाना चाहिए। आदेश के लेखक के लिए यह आवश्यक है कि वह उठाए गए सभी तर्कों का निराकरण करते हुए एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश पारित करे। चूंकि इस प्रक्रिया का पूर्णतः अभाव है, इसलिए आदेश दिनांक 08.07.2021 कायम नहीं रखा जा सकता।

12. तदनुसार, याचिका निम्नलिखित रीति से निर्णीत की जाती है:

(क). जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 08.07.2021 और उपायुक्त (श्रम रोजगार), प्रयागराज द्वारा पारित आनुषंगिक आदेश दिनांक 21.11.2025 निरस्त किए जाते हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ख). मामला इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार कड़ाई से नया आदेश पारित करने हेतु वापस भेजा जाता है।

13. तदनुसार, याचिका निस्तारित की जाती है।

फरवरी 3, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति) “Translated, Corrected &

Authenticated by me”

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”